

गत तीन वर्षों में कोयले के उत्पादन की मात्रा

74. श्री बाबू लाल सोलंकी :

श्री इसाहीम सुलेमान सेठ :

श्री टी० आर० शमन्ना :

क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बनाने की हृपा करेगे कि :

(क) यह तीन वर्षों में, वर्षवार, कोयले के उत्पादन की मात्रा कितनी है और गत 6 महीनों में कोयले का मार्मिक उत्पादन (चालू महीने महिने) कितना हुआ है ;

(ख) तापीय बिजली घरों को कोयला मर्नाई करने और बिजलो घरों तथा कोयले पर आधारित उद्योगों के पास कोयले का पर्याप्त भण्डार सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या विशेष कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या कोयला मंत्रालय ने कोयले की शीघ्र आवाजाही के लिए रेल मंत्रालय के सहयोग से कोई ममन्य समिति बनाई है; और

(घ) यदि हा, तो समिति के सदस्यों का नाम क्या है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गन्नीखान चौधरी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयले के उत्पादन की मात्रा नीचे दी गई है -

वर्ष	उत्पादन (मिलियन टनों में)
1976-77	101.04
1977-78	101.00
1978-79	101.44

बाल वर्ष के पिछले छह महीनों में कोयले के उत्पादन नीचे दिया गया है :—

महीना	उत्पादन (लाख टनों में)
अनन्तिम	

सितम्बर, 1978	78.97
अक्टूबर, 1979	78.72
नवम्बर, 1979	86.87
दिसम्बर, 1979	94.75
जनवरी, 1980	99.34
फरवरी, 1980	100.69

(ब) ताप विजली घरों की कोयले की जहरतें पूरी करने के लिए उन्हें संयोजित कोयले की मात्रा बढ़ा दी गई है। रेलवे कोयले की बुलाई के लिए वैगन अधिक संख्या में देने के लिए सहमत हो गई है ताकि विजलीघरों में कोयले के स्टोक बनाए जा सकें। रेलवे यह प्रयास भी कर रही है कि अन्य उपभोक्ताओं के लिए भी कोयला वैगनों की संख्या बढ़ाई जाए।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्याय लयों में लम्बित मामले

75. श्री बाबू लाल सोलंकी :

श्री जी० आई० हुण्णन :

श्री टी० आर० शमन्ना :

श्री के० प्रधानी :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मर्ती यह बनाने की हृपा करेगे कि :

(क) देश के प्रत्येक उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में किनने मुकदमे लम्बित हैं ;

(ख) इसमें से प्रत्येक न्यायालय में क्रमशः किनने मुकदमे 5 तथा 10 वर्षों से अधिक समय से लम्बित हैं; और

(ग) इननी अधिक संख्या में इन मुकदमों के लम्बित रहने के मुख्य कारण क्या हैं और इन मुकदमों के निपटान में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मर्ती (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख). एक विवर मलग्न है जिसमें वह जानकारी दी गई है जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने भेजी है।

(ग) अनेक जटिल बातों के कारण न्यायालयों में मामले इकट्ठे हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में यह—आवश्यक है कि न्याय प्रशासन का कार्य निरन्तर चलता रहे। तदनुसार, सरकार इस समस्या के सम्बन्ध में कार्यालयी करने का विचार रखती है। ऐसा करने में सरकार विधि और्योग की सिफारिशों का ध्यान रखेगी।

लिखित

31-12-1979 को उच्चतम न्यायालय में और 30-6-1979 को उच्च न्यायालयों में लिखित मामले और ऐसे मामले जो इन न्यायालयों में कमशः 5 वर्ष और 10 वर्ष से अधिक समय से लिखित हैं :

नियमित सुनवाई वाले मामले जो 31-12-1979 को लिखित हैं	नियमित सुनवाई वाले मामले जो निम्नलिखित से अधिक समय से लिखित हैं
--	---

	•	5 वर्ष	10 वर्ष
भारत का उच्चतम न्यायालय	16077	4675	182
उच्च न्यायालय का नाम		30-6-1979 को निम्नलिखित से अधिक समय से जो स्थिति थी, उसके अनुसार लिखित मामलों की संख्या	
		5 वर्ष	10 वर्ष
इलाहाबाद	.	124540	28319
आनंद प्रदेश	.	22637	8
मुम्बई	.	58090	11826
कलकत्ता	.	74471	17827*
दिल्ली	.	30329	7570
शोहाटी	.	6929	1192
गुजरात	.	14857	107
हिमाचल प्रदेश	.	5765	806
अस्सी-कश्मीर	.	6577	251
कर्नाटक	.	49403	2133*
केरल	.	33809	69
मध्य प्रदेश	.	40785	6018*
मद्रास	.	55268	675
उड़ीसा	.	8423	623
पटना	.	35513	6260*
पंजाब और हरियाणा	.	38413	10798
राजस्थान	.	23957	5123*
सिपिकम	.	11	..
योग	.	629722	99595
			15977

* टिप्पणी : कलकत्ता, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पटना और राजस्थान उच्च न्यायालयों की बाबत 5 वर्ष और 10 वर्ष से अधिक समय से लिखित मामलों के आंकड़े केवल मुख्य मामलों के हैं।